न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी - मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर - 138 / 2017 निर्णय दिनांक - 26.02.2020

1 कुम्भाराजसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर

............प्रार्थी

बनाम

1 ब्रजपालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
2 मोहनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
3 जसवीरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
4 मनफूलकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
5 महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
6 दलेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
7 मनफूलकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
8 पन्नालाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह. परबतसर
9 भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह. परबतसर
10 सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह. परबतसर
11 शिवनसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
12 महेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
13 मोहिन्दकंवर पत्नी अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर
14 नीक कंवर पुत्री अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कमेोता तह. परबतसर

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत – अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अजीज खां अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

1 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अजीज खां ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कमेोता में प्रार्थी की खातेदारी शुदा भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 3.55 हैक्टेयर स्थित है जिसके उपयोग उपभोग करने हेतु भूमि के चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है। नकशा नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी शुदा भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से पूर्वी मेंड पर उत्तर से दक्षिण की ओर 13 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी शुदा भूमि खसरा नम्बर 641 तक घोषित किये जाने की इस्तदुआ की है।

2 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार परबतसर को से तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौका निरीक्षण कर प्रार्थी की खातेदारी शुदा भूमि के चारों तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है या रास्ते का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होने सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से रास्ता प्रस्तावित करते हुए मौका रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 03.01.2018 को अप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने पर बार बार आवाज लगाये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

अनुपस्थित रहे हैं। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक राजस्व / 1343 दिनांक 31.12.2019 के तहत मौका रिपोर्ट पेश की है।

3 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रालवी एव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एव तहसीलदार परबतसर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार ग्राम रूणीजा के खसरा नम्बर 641 रकबा 3.55 हैक्टयर भूमि महेन्द्रसिह पुत्र अचलसिंह, 1/10 हिस्सा, जुगराजरिंह पुत्र जब्बरसिह रकबा 0.5350 हैक्टयर, भवरलला, परमाराम सोहनाराम पि. जगनाथराम 2.66 हैक्टयर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। तथा खसरा नम्बर 640 की खातेदारी सम्पतसिंह पुत्र किशोरसिह, रूघवीरसिह पुत्र अनाडसिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसमें खातेदार सम्पतसिंह रघुवीरसिंह फौत होने पर जरिये विरासत उनके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई है। मौका रिपोर्ट के अनुसा प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 641 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने व रास्ते का कोई भी विकल्प मौजूद नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 640 मे से उत्तरी सीव पर 425 लम्बाई गुण 6.5 फुट चौडा मार्क ''ए'' से ''बी'' रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। साथ में यह भी अंकित किया हैं कि उक्त अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 641 में से अप्रार्थीगण को 2762.5 वर्ग फुट भूमि दे रखी हैं। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने भी जाहिर किया हैं कि अप्रार्थीगण को रास्ते के बादले प्रार्थी अपनी खातेदारी से भूमि देने के लिये तैयार हैं।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार यह सही हैं कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम रूणीजा के खसरा नम्बर 641 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं हैं न ही कोई रास्ते का विकल्प मौजूद हैं, तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना सबसे उपर्युक्त हैं लेकिन प्रार्थी उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि देने को तैयार नहीं हैं। रास्ते के बदले अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 641 में से ही जितनी भूमि रास्ते में जा रही हैं उतनी भूमि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार है। लेकिन राजस्थान काश्तकार अधिनिमय 1955 की धारा 251ए में रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, उक्त नियम के तहत रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी.दर से गणना करते हुए दो गुणा राशि सम्बन्धित खातेदार को दिये जाने का प्रावधान हैं जिसके लिय प्रार्थी तैयार नहीं है। जिससे प्रार्थी चाही गई इस्तदुआ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को स्वीकार नहीं होने से खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 06.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश ...)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner